## महत्वपूर्ण एवं खास

### नायब तहसीलदार घरघोड़ा हितेश कुमार साहू नोडल अधिकारी नियुक्त

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नगर पंचायत घरघोड़ा के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत घरघोड़ा के स्थान पर हितेश कुमार साहू नायब तहसीलदार घरघोड़ा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

### छात्रावास में कार्यरत चपरासी ने की आत्महत्या

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम नंदेली स्थित बालक छात्रावास में शनिवार की देर रात छात्रावास के चपरासी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी रविवार की सुबह जैसे ही हुई तो छात्रावास अधीक्षक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही तत्काल कोतरा रोड पुलिस छात्रावास पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश सिदार, उम्र - लगभग 30 वर्ष, तरकेला का निवासी था। दिनेश सिदार बालक छात्रावास नंदेली मे भृत्य के पद पर था। वह छात्रावास परिसर में ही रहता था। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात उसने संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में हाथ का नस काटकर आत्महत्या कर ली है। रविवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो किसी अनहोनी की आशंका होने से छात्रों ने कमरे में देखने का प्रयास किया, जहां दिनेश सिदार का शव रूम के अन्दर बिस्तर के ऊपर खुन से लथ-पथ हालत में पड़ा था। छात्रों ने तुरंत छात्रावास अधीक्षक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद छात्रावास अधीक्षक ने पुलिस को सूचना दी। उधर खबर मिलते ही कोतरा रोड पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमे दिनेश ने अपनी जिंदगी से परेशान होकर उक्त कदम उठाने की बात लिखी है। बहरहाल पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

### जनरेटर चलाने के लिए अनुमति लेना जरूरी

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिले के राजस्व सीमा के भीतर शासकीय/गैर शासकीय परिसर में स्थापित उच्चदाब विद्युत स्थापना एवं 10 के.व्ही.ए.से अधिक क्षमता के जनरेटर/सोलर स्थापना को चालू करने के पूर्व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति के नियम)विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु राज्य शासन के सक्षम विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। कार्यपालन अभियंता (वि.सु.)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक संभाग रायगढ़ ने जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा विनियमों का अनुपालन किये बिना प्रचालन करता हुआ स्थापना पाये जाने पर इसकी सूचना सक्षम निरीक्षकालय की ओर प्रेषित किया जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता एवं अधिष्ठान का मालिक विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति, स्थापना को चालू करता है तो उनके विरूद्ध विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुंचाने का प्रकरण तैयार किया जा सकेगा।

### आयुष विभाग द्वारा रायगढ़ स्टेडियम में होगा 5 दिवसीय योग शिविर

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** आयुष संचालक डॉ जी एस बदेशा जी के दिशा निर्देश और जिलाधीश यशवंत कुमार रायगढ़ के सरंक्षण में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ जी एस पटेल जी के मार्ग दर्शन में मेन स्टेडियम बोईरदादर रायगढ़ में पांच दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ सलीम नियारिया सभापति नगर पालिक निगम रायगढ़ ,डॉक्टर अश्विनी शर्मा पूर्व जि़ला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें गुलाब अग्रवाल केजरीवाल एवीएम सुश्री श्रेया अग्रवाल द्वारा योग का प्रदर्शन किया गया उक्त शिविर का आयोजन 4 से 8 नवंबर तक प्रातः 6 बजे से किया जा रहा आप सभी से आम जनता सेअपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर योग सीखे।करे योग रहे निरोग।

### धान के रकबे का सत्यापन करें एसडीएम-कलेक्टर

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी एसडीएम को समर्थन मूल्य में धान खरीदी के पूर्व किसानों के धान के रकबे का सत्यापन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसे प्राथमिकता के आधार पर करें। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधान, पंजीकृत किसान जिनका रकबा पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, नवीन पंजीकृत किसानों का रकबा, माड्यूल में प्रदर्शित डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका में दर्शित रकबा आदि के आधार पर रकबे का सत्यापन करें।

# आज तक नहीं मिला मुआवजा - मालिकराम, रंगीलाल, सेवकराम

» आखिर क्यों माननीय उच्च-न्यायालय के आदेश के बाद भी चुप है प्रशासन
» के आई टी के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला
» न्यायालय अवमानना भी दायर किया जा चुका
» सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत मामला

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** अपने आवेदन को सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मालिकराम, रंगीलाल, सेवकराम, सभी निवासी मुकाम पोस्ट गढ़उमरिया, में कहा कि, हमारे द्वारा, हमारी जमीन पर बनाए गए के0आई0टी0 कॉलेज़ से सम्बंधित जमीन अधिग्रहण बाबत् मुआवजा राशि के प्राप्त नहीं होने के सम्बंध में शासन को लगातार लिखित और मौखिक रुप से सूचित किए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे व्यथित होकर हमारे परिवार के दो बड़े क्रमशः हिराउराम, घुरउराम इस दुनिया से चले गए, लेकिन प्रशासन के कान में जूँ तक नहीं रेंगी।

हमारे द्वारा सामाजिक न्याय संघ की मदद से, एक आवेदन माननीय उच्च-न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया, जिसका क्रमांक डब्ल्यू0पी0सी0 नं0 2185/2017 था, जिसपर दिनॉक 16/08/2017 को आदेशित किया गया कि - श्रीमान् कलेक्टर के समक्ष मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे - , जिसके पालनार्थ एक आवेदन मय शपथ-पत्र मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए श्रीमान् कलेक्टर के समक्ष विधिनुसार प्रस्तुत किया गया। जिसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रशासन हमारी जमीन के अधिग्रहण का मुआवजा देना ही नहीं चाह रहा है, जो कि हमारे साथ सरा-सर अन्याय है। जिसपर पुनः सामाजिक न्याय संघ की मदद से न्यायालय अवमानना प्रकरण माननीय उच्च-न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसका क्रमांक ब्व्छज् छव 182 ध् 2019 है, जिसपर पुनः एक रिप्रेजेन्टेशन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया गया।

दिनॉक 07/08/2019 को कलेक्टर रायगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्त दोनों आदेश जो कि माननीय उच्च-न्यायालय के द्वारा किए गए प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जो कि प्रशासन की लापरवाही को और उच्च-न्यायालय के आदेशको भी दर-किनार करने को दर्शाने के लिए काफी है।

मालिकराम ने बताया कि, इस सम्बंध में अब पुनः माननीय उच्च-न्यायालय के समक्ष पुनः आवेदन किए जाने की तैयारी की जा रही है,जिसमें सामाजिक न्याय संघ से हमें मदद मिल रही है।

#### ये भी है जानकारी

हमें विदित है कि कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा रायगढ़ छ0ग0 में मूल चालान क्रमांक 223 दिनॉक 03/02/2014 को राशि 8,88,000/- अक्षरांक आठ लाख अट्ठासी हजार रुपये जमा किए जा चुके हैं, जिसके बाद भी हमें आज तक मुआवज़ा रकम प्राप्त नहीं हुई है, जो कि हमें मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाने वाला है।

#### क्या है मामला

रायगढ़ जिले में ग्राम गढउमरिया, प0ह0नं0 23, रा0नि0मं0 पुसौर जिला रायगढ़ छ0ग0 में जो जमीन आवेदकगण की थीं उसपर किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोज़ी, गढउमरिया रायगढ़ जो कि शासन से प्रवर्तित इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, की स्थापना के समय उक्त जमीन को शासन के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। उक्त अधिग्रहण के सापेक्ष में बताया गया था कि मुआवज़ा राशि मिलेगी तथा साथ में घर के सदस्य को शासकीय नौकरी भी दी जायेगी, जिसपर आवेदकगण ने अपनी जमीन को कही गई न्यायोचित मुआवज़ा राशि पर,, एवं हम तीन भाईयों के घर से एक-एक सदस्य को नौकरी का लाभ मिलता देख सहमति प्रदान की थीं। विदित हो कि, उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही 2001 में की गई। जिसके बाद से लगातार 16 वर्ष से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है, जो कि हमारे लिए बेहद कष्टकारक था, अतः शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सामाजिक न्याय संघ से मदद ली गई और माननीय उच्च-न्यायालय से आदेश कराया गया, उक्त आदेश के सापेक्ष में तत्काल प्रभाव से मुआवजा राशि प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

## मेले से लौटकर युवक ने लगाई फांसी

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** खरसिया विकासखंड के ग्राम दर्रामुड़ा निवासी युवक ने रात के वक़्त पेड़ में फंदा बनाकर फांसी लगा ली। पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतू सिविल अस्पताल खरसिया भेजा गया। वहीं नवयुवक ने क्यूं फांसी लगाई, यह कारण अज्ञात है।

बताया जा रहा है कि दर्रामुड़ा के युवक पंकज निषाद पिता-चमरा निषाद अपने दोस्तों के साथ ग्राम बसनाझर में मेला देखने गया गाया था। वहीं लगभग 11:00 बजे दोस्तों के साथ ही घर भी लौट आया था। परंतु ना जाने किन कारणों से नवयुवक ने देर रात घर के आंगन में स्थित अमरूद के पेड़ में साड़ी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया।

सुबह जानकारी होने पर कोटवार के माध्यम से भूपदेवपुर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी उत्तम साहू ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं फांसी लगाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। युवक लगभग 21 वर्ष का बताया जा रहा है।

## फर्जी गेट पास बनाकर दो लाख रूपये के आयरन की चोरी

» गिरोह के एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** पवन कुमार शर्मा पिता उमाराम शर्मा एजीएम विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. भूपदेवपुर ने दिनांक 10/10/2019 को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10/10/2019 को विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (ई) प्रायवेट लिमिटेड भूपदेवपुर से फर्जी टोकन से जालसाजी कर धोखाधड़ी कर 30 मिट्रिक टन आयरन ओर चोरी होने की सूचना दिया था आवेदन पत्र की जांच पर गेट पास टोकन नंबर 28 दिनांक 10/10/2019 के रात्रि 2.12 बजे ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 डी 5102 के चालक कादिर एवं उसके साथी साजिद अली ऊर्फ बबलू के द्वारा साईडिंग गेट मे तैनात गार्ड लेखराम पटेल से मिलीभगत कर फर्जी टोकन गेट पास प्राप्त कर साईडिंग के अंदर प्रवेश कर लोडिंग पाईंट से जालसाजी कर करीब 30 मिट्रिक टन आयरन ओर कीमती 2,00000/ रूपये को लोड कराकर बिना कांटा कराये फर्जी बिल्टी से साईडिंग से लोड आयरन ओर सहित गेट मे तैनात गार्ड उजीत राम गोड के साथ षडयंत्र पूर्वक आवक जावक रजिस्टर मे कूटरचित कर धोखाधडी जालसाजी कर रात्रि 2.50 बजे ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 डी 5102 मे लोड आयरन ओर को बाहर चोरी से ले जाना अपराध धारा 420, 465, 468, 471, 120बी, 34, 381, 379 भादवि. का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान फरार आरोपी मीर साजिद अली उर्फ बबलू पिता मीर मजिद अली उम्र 35 वर्ष निवासी इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 07 रायगढ को आज दिनांक 04.11.2019 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

## लगातार | बलवा के मामले में दूसरे पक्ष के 3 फरार आरोपी गिरफ्तार, जेल दाखिल किये

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नवरात्रि पर्व दौरान थाना कोतवाली अन्तर्गत दरोगापारा जयराम कॉलोनी में दो परिवारों के बीच मारपीट, बलवा में थाना कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 868, 869/19 दर्ज कर दोनों ही प्रकरणों के आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आज दिनांक 04.11.2019 को काउंटर अपराध क्रमांक 868/19 धारा 294, 506, 323, 324, 326, 147, 148, 149, 307 भादंवि के फरार आरोपी (1) अंकुर गोरख पिता शम्भूनाथ गोरख उम्र 25 साल (2) अंकित गोरख पिता शम्भूनाथ गोरख उम्र 25 (3) बाला गोरख पिता भोला गोरख उम्र 35 साल सभी निवासी दरोगापारा रायगढ़ थाना कोतवाली को दोपहर में गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां आरोपियों को रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। दोनों ही मामलों के शेष फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

## जिला न्यायालय में 'मुकदमा पूर्व मध्यस्थ सेंटर' का हुआ शुभारंभ

» जिला न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने किया शुभारंभ

» आपसी सहमति से प्रकरणों का किया जा सकता है निराकरण

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निवास राव विरूद्ध डी.ए.दीपा प्रकरण में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत न्यायालय में जाने से पूर्व ही निराकृत हो सकने वाले पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय परिसर के पुराने भवन में मुकदमा पूर्व मध्यस्थ सेंटर (हेल्प डेस्क व क्लीनिक)का शुभारंभ रमाशंकर प्रसाद तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह के द्वारा किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा मिडियेशन के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष प्रयास करने के लिए न्यायालय को निर्देशित किया जाता रहा है। जिला रायगढ़ में कुल 5 मध्यस्थ केन्द्र रायगढ़, सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ व खरसिया में कार्यरत है। जिले में पूर्व से ही पारिवारिक न्यायालय भवन तथा तहसील न्यायालयों में मध्यस्थता केन्द्र स्थापित है।

उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता न्यायालय में विवादों को सुलझाने का एक सरल मार्ग है। मध्यस्थता, दो पक्षों को खुलकर बातचीत करने के लिये प्रेरित एवं उत्साहित करता है तथा पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है। इसमें कहीं भी विवशता अथवा दबाव नहीं रहता तथा निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का ही रहता है। पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहती है। मध्यस्थता केन्द्र में प्रतिदिन प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा सिविल, आपराधिक, पारिवारिक प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।

# ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर रची डिलीवरी पेमेंट हड़पने की साजिश

» पकड़े जाने के बाद ड्रायवर ने किया खुलासा, आरोपी ड्रायवर व उसके 2 साथी गिरफ्तार

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जानकारी के अनुसार फुड प्रोडक्स फायम्स नमकीन का व्यापार करने वाले राकेश रोहरा उम्र 41 साल निवासी मेन रोड कोरबा द्वारा दिनांक 25.10.19 को थाना छाल में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि दिनांक 22.10.19 रात 12-1 बजे भुपेद्र कौशिक की माजदा गाडी क्रमांक सीजी 12 एएक्स 7510 में नमकीन फायम्स को अपने कर्मचारी राजकुमार कुश्वाहा एवं गाडी के ड्राईवर किशन कुमार राठौर को माल लेकर गुमला राजेश स्टोर्स डिलीवरी करने भेजा था, दिनांक 23.10.19 के दोपहर करीब 02 बजे ड्रायवर और हेल्फर राजकुमार कुश्वाहा राजेश स्टोर्स गुमला में माल अनलोड किये और व्यापारी से सामान का 200000/- (दो लाख रूपये) प्राप्त किये जिसे राजकुमार कुश्वाहा ने माजदा गाड़ी की केबिन डिक्की में रख दिया।

ड्राइवर किशन कुमार राठौर ने डिलीवरी पेमेंट चोरी करने के लिये पूर्व से बनाये प्लान के अनुसार अपने साथी श्याम सारथी निवासी बुधवारी बाजार कोरबा एवं देवा सारथी निवासी जांजगीर को गुमला से फोन कर सामान लोड कर रकम लेकर गुमला से कोरबा के लिए धरमजयगढ़ होते हुये आने की जानकारी दिया और शाम करीब 4-5 बजे अपने दोस्तों को इंडियन ढाबा धर्मजयगढ़ के पास मिलने के लिये बुलाया। जिस पर किशन कुमार राठौर के साथी श्याम सारथी और देवा सारथी अपने परिचित की मोटरसाइकिल लेकर कोरबा से इंडियन ढाबा धर्मजयगढ़ में शाम करीब 05:30 बजे पहुंचकर। किशन राठौर के आने का इंतजार कर रहे थे, किशन राठौर रात्रि करीब 10:30 बजे ढाबा के पास पहुंचा और सभी वहां मिलकर ढाबे में खाना खाए और शराब पिए। उसके बाद किशन राठौर के दोनों साथी मोटरसाइकिल में माजदा वाहन आगे-आगे जाने लगे और किशन कुमार राठौर पीछे मालदा में हेल्फर राजकुमार कुशवाहा के साथ आ रहा था। अत्यधिक शराब पीने के कारण हेल्पर राजकुमार कुशवाहा माजदा गाड़ी में ही सो गया। देर रात्रि हाटी बस स्टैंड छाल के पास पहुंचने के बाद किशन राठौर ने मालदा गाड़ी के केबिन डिक्की में रखे रू. 200000 निकाला और अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर खरसिया के लिए निकला। ग्राम देहजरी के पास किशन राठौर ने अपने साथी श्याम सारथी को रू. 40,000 और देवा सारथी को रू. 44,000 नगद दिए और बाकी रकम को अपने पास रख लिया। यहां से श्याम सारथी मोटरसाइकिल में कोरबा वापस चला गया तथा किशन और देवा सारथी दोनों ट्रेन में जांजगीर चले गए। आरोपी किशन राठौर को हिरासत में लिये जाने के बाद उपरोक्त जानकारी उसने पूछताछ में बताया। किशन के दोनों साथियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की रकम बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ करने पर सारे रकम खर्च कर देना बताये। आरोपी श्याम सारथी से मोबाइल आईटेल जप्त कर प्रार्थी राकेश रोहरा द्वारा दर्ज कराये गये अप.क्र. 177/19 धारा 379 भादवि + 120 बी, 34 भादवि जोडी जाकर आरोपियों को अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

### आरोपिगण...

(1) किशन कुमार राठौर पिता समारू लाल राठौर उम्र 39 वर्ष निवासी गतौरा वार्ड क्रमांक 07 स्टेशन रोड छुहिया पारा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर।

(2) देव कुमार उर्फ देवा सारथी पिता गोरेलाल सारथी उम्र 24 वर्ष निवासी महिला वार्ड क्रमांक 4 सुल्तानपुर थाना नैला जिला जांजगीर चांपा।

(3) श्याम सिंह सारथी पिता स्वर्गीय भागबली सारथी उम्र 39 साल निवासी बुधवारी बाजार सब्जी मंडी के पीछे वार्ड क्रमांक 21 थाना सीएसईबी जिला कोरबा।


स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480